संविदा का एक विवरण इतिहास और अनुबंध से भेद

संविदा अधिनियम की प्रकृति और इतिहास

कानून: बाध्यकारी कानूनी बल और प्रभाव के संचालन के नियमों का एक निकाय, निर्धारित, मान्यता प्राप्त और **नियंत्रण प्राधिकरण**।

नियंत्रण प्राधिकरण: उपयुक्त सरकार का अर्थ है केंद्र या राज्य सरकार।

सरकार: संस्था या संस्थानों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी समाज पर शासन करने के लिए आवश्यक अधिकार रखते हैं। या एक सरकार जो एक प्रणाली है जिसके द्वारा एक राज्य या समुदाय का प्रबंधन किया जाता है।

कानून दो प्रकारों में विभाजित है:

मूलभूत कानून	प्रक्रिया कानून
मूलभूत कानून पक्षों के बीच अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों का निर्माण करता है।	प्रक्रिया कानून: यह पर्याप्त कानून के लिए प्रक्रिया को लागू करता है।
उदहारण :संविदा, आईपीसी, हिंदू कानून, मुस्लिम कानून, आदि।	उदहारण: आपराधिक प्रक्रिया संहिता, नागरिक प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, आदि

दो अलग-अलग प्रकार के कानून वर्गीकृत हैं:

1. संहिताबद्ध कानून: आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, आदि
2. गैर-संहिताबद्ध कानून: मुस्लिम कानून, हिंदू कानून, न्यायशास्त्र आदि।

अब, एक संविदा मूलभूत संहिताबद्ध कानून है। यह व्यापारिक या वाणिज्यिक कानून की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। यह आम लोगों की दिन-प्रतिदिन की बिक्री से संबंधित है।

<u>संविदा के जनक: सर विलियम आर. एंसन</u>

भारतीय संविदा अधिनियम **25 अप्रैल 1872** और **1 सितंबर, 1872 को लागू हुआ।** यह अंग्रेजी सामान्य कानून के सिद्धांतों पर आधारित है।

जैसा कि पारित किया गया अधिनियम में मुख्य रूप से 266 धाराएं थीं, इसका एक विस्तृत दायरा था और

1. संविदा के कानून के सामान्य सिद्धांत - धारा 01 से 75
2. माल की बिक्री से संबंधित संविदा - धारा 76 से 123·
3. विशेष संविदा- क्षतिपूर्ति, गारंटी, जमानत और प्रतिज्ञा, और एजेंसी - धारा 124 से 238
4. साझेदारी से संबंधित संविदा - धारा 239 से 266

वर्तमान में भारतीय संविदा अधिनियम को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:

- **भाग 1: खंड 1 से 75 संविदा की विधि के सामान्य सिद्धांतों से**
- **भाग 2: विशेष प्रकार के संविदा से संबंधित है जैसे**

    1. क्षतिपूर्ति का संविदा और गारंटी

    2 जमानत और प्रतिज्ञा की संविदा

    3. एजेंसी का संविदा ।

<u>उद्देश्य और कार्य:</u> संविदा कानून का उद्देश्य पार्टियों के बीच संयुक्त बिक्री को विनियमित करना है। संविदा के कानून का उद्देश्य और कार्य यह देखना है कि जहां तक संभव हो, पक्षकारो की प्रतिज्ञाओं द्वारा बनाई गई अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है और पक्षकारो के समझौते द्वारा निर्दिष्ट दायित्व को निष्पादित किया जाता है।

उदहारण : सोना या गेहूं निश्चित भाव पर बिकता है।

भारत में एक संक्षिप्त इतिहास:

1) **वैदिक काल में:** सौदे धर्म पर आधारित होते हैं। (राजा)
2) **पौराणिक युग में**: विद्या (विष्णुपुराण) - 4 प्रकार
    i) तर्कशास्त्र
    ii) कर्मकाण्ड
    iii) दंडनीति
    iv) वार्ता
3) **मुगल काल से पहले:** इसका आयोजन धर्मशास्त्र, मनुसंहिता आदि द्वारा किया जाता था।
4) **मुगल काल के दौरान:** मुस्लिम कानून का विकास... अनुबंध- Aqd का अर्थ है बंधन
5) **ब्रिटिश काल** में: 1726 के रॉयल चार्टर में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के प्रेसीडेंसी शहर में मेयर कोर्ट स्थापित किए गए थे। यह न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांतों पर भविष्यवाणी किए गए अंग्रेजी सामान्य कानून पर आधारित था।
6) लेकिन 1781 में कलकत्ता में - सुप्रीम कोर्ट की स्थापना
7) और 1797 में बॉम्बे और मद्रास- रिकॉर्डर कोर्ट की स्थापना

<u>भारतीय संविदा अधिनियम, 1872</u>

: विधि आयोग (समान नागरिक संहिता)

1833- 1835 में - पहला विधि आयोग - कुछ सिफारिशों के

बाद-

1853 में - दूसरा विधिआयोग

1861 में -तृतीय विधि आयोग - निरसन-

1866 में कानून और रिपोर्ट के अनुबंध पर प्रस्तुत मसौदा

1867 में- कुछ संशोधनों के बाद अंततः

1872 में (अधिनियम संख्या 9) भारतीय अनुबंध अधिनियम

1872

२५ अप्रैल १८७२ अधिनियमित : १ सितंबर १८७२ लागू

1872 इसमें ६ अध्याय और ७५ खंड हैं।

अनुबंध का विवरण: भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार;

धारा 2 (एच): ऐसे करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है , संविदा कहलाते हैं

1. सर जॉन सामंड: पक्षकारो के बीच देनदारियों को बनाने और परिभाषित करने वाला एक समझौता।
2. Anson : एक संविदा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कानून द्वारा लागू किया जाने वाला एक समझौता है जिसके द्वारा एक या एक से अधिक लोगों को दूसरों या दूसरों की ओर से कार्य करने या करने से दूर रहने के अधिकारों की आवश्यकता होती है।

<u>बीच अंतर</u>

संविदा	**करार**

एक करार एक अनुबंध है जो कानून द्वारा लागू करने योग्य है।	एक वादा या कई वादे जो विरोधाभासी नहीं हैं और एक समझौते में शामिल पक्षकारो द्वारा स्वीकार किए जाते हैं।
एक संविदा केवल कानूनी रूप से लागू करने योग्य है।	एक समझौता सामाजिक रूप से स्वीकार्य होना चाहिए। यह कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो भी सकता है और नहीं भी।
एक संविदा को कुछ कानूनी दायित्व बनाना पड़ता है।	एक समझौता कोई कानूनी दायित्व नहीं बनाता है।
सभी संविदा भी समझौते हैं।	एक समझौता एक संविदा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।